2000-10 लाख फा.

(1)

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उप जिला कलेक्टर उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा) मुकाम बांदीकुई

...राम पुत्र जयनारायण जाति मीना ढिगारिया हप्पा कोलेश्वर तह० बसवा बनाम छोटी आदि रामकिशोर हजारी वगैरह निवासी ढिगारिया हप्पा कोलेश्वर तह० बसवा

मा... दुरुस्ती घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु० नं० 144/2016 दर्ज दि० 5-9-16 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निर्णय दिनांक 9-8-2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। बहस वकील वादी सुनने व पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है।— वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आ० खसरा नं० 158, 176, 177, 180, 181, 182, 184 से 187, 216, 217, 224/1545, 257 से 259, 261 से 264 कुल किता 21 रकबा 5.04 है। जो कि ग्राम ढिगारिया हप्पा कोलेश्वर तह० बसवा में उसकी खातेदारी की भूमि है जिसमें उसका 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं० 3 व 4 का 1/2 हिस्सा है। प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 का उक्त विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। हिस्से अनुसार पृथक काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इसी कदर वादी अपने हक में उद्घोषणा व दुरुस्ती करने बाबत वाद पत्र में इस्तदुआ चाही गई है।	

(हस्ताक्षर) 9/8/18
उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned by CamScanner

हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

2- यह कि वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 5-3-18 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर तहसीलदार बसवा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका रिपोर्ट दिनांक 21.5.18 को प्राप्त की गई।

3- यह कि प्रतिवादीगण कोई उपस्थित नहीं होने पर वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर वाद प्रस्तुत होने साक्ष्य बहस वकील वादी सुनी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में विवादित आराजी का प्रतिवादी सं० 1 व 2 के नाम गलत इन्द्राज होना बताया तथा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादी के हक में इन्द्राज दुरुस्ती की जाकर उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ की गई।

वकील वादी की बहस सुनने व पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि जयनारायण पुत्र सावल्या मीना व जयनारायण पुत्र सुखपाल गुर्जर एक ही नाम के दो व्यक्ति ही जयनारायण पुत्र सुखपाल गुर्जर की मृत्यु होने पर जयनारायण पुत्र सुखपाल की भूमि के साथ साथ जयनारायण पुत्र सावल्या की भूमि का खाता भी शामिल हो गया व

(दौसा) उप खण्ड अधिकारी (दौसा)

(1)

वाद प्र० सं० 1545/2016

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कालू राम बनाम बद्री वगैरा	

जयनारायण पुत्र सुखपाल के वारिसान का नाम दर्ज हो गया। जबकि दोनों जयनारायण अलग अलग जाति के व्यक्ति है, जमाबंदी सं० 2028 से 2051 में जयनारायण काना पि० सावल्या जाति मीना सा० देह अंकित है. खतौनी इन्तकाल सं० 2016 में भी यही इन्द्राज है। भू प्रबन्ध के दौरान सं० 2052 में राजस्व रेकार्ड में अंकन गलत किया गया है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत कागजात के अवलोकन व प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एवं मौका रिपोर्ट के अवलोकन व साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत शपथ पत्रों आदि के अवलोकन के पश्चात वादी का दावा स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि!—

खाता सं० नया 103, पुराना 110 में बद्री भागू पि० जयनारायण का नाम हि० 1/2 हटाया कर वादी के हक में खातेदारी घोषित करने के आदेश दिये जाते हैं। विवादित आराजी टिकाणिया टप्पा बांदीकुई तह० बसवा में वाद के निर्णय से डिग्री पत्रावली डिक्री जारी की जावे। आदेश आज दिनांक 9-8-18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

9/8/18

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned by CamScanner